DIGICONTENT LIMITED

Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor)
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110 001, India
T: +9111 66561234 **F:** +911166561270
W: www.digicontent.co.in **E:** corporatedept@digicontent.co.in
CIN: L74999DL2017PLC322147

Ref: DCL/CS/160/2021

30th August, 2021

BSE Limited
P.J. Tower, Dalal Street
MUMBAI - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI - 400 051

Scrip Code: 542685

Trading Symbol: DGCONTENT

Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR")

Re: 4th Annual General Meeting (AGM) of the Company via Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM)

Dear Sirs,

In furtherance to our communication dated 29th August, 2021, we are enclosing herewith relevant page of "Hindustan" (Hindi–Delhi NCR Edition) and "Mint" (English– All Editions) newspapers published on 30th August, 2021, giving details, *inter alia,* about the:

1. completion of dispatch of Annual Report for FY-21 and notice convening the 4th AGM of the Company to be held on Tuesday, 21st September, 2021 through VC/OAVM; and

2. other relevant information as required to be given to members in terms of Companies Act, 2013 and SEBI LODR including circular(s) issued by MCA and SEBI.

This is for your information and record.

Thanking you,

For **DIGICONTENT LIMITED**

(Vikas Prakash)
Company Secretary

Encl.: *As above*

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

OFFICE OF THE DIRECTOR LOCAL BODIES
TOLL TAX DEPARTMENT
14th Floor, Dr. Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre,
Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi-110002
E-mail ID : tolltaxsdmc@gmail.com, Ph. 011-23226422

PUBLIC NOTICE

No. ADC/TT/HQ/2021/D-540 Dated : 27.08.2021

Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 10.08.2020 and Commission for Air Quality Management have directed for collection of ECC and Toll Tax from specified Commercial Vehicles entering Delhi through RFID System only. The South Delhi Municipal Corporation has equipped all 124 Toll Plazas with RFID System for Toll Tax and ECC collection.

All specified Commercial Vehicles will have to pay Toll Tax and ECC through RFID System only. Therefore all the Owners/Drivers/ Transport Unions are hereby informed that w.e.f. 31st day August 2021 Commercial Vehicles will be allowed to enter into Delhi on payment of ECC and Toll Tax/ECC through RFID System only. The Owners/Drivers of the vehicles which enter Delhi without paying Toll Tax through RFID System mode shall be liable to face legal Action including penalty/ cancellation of the permit/registration or any other punitive action for the violation as deemed fit.

Addl. Deputy Commissioner
Toll-Tax

R.O. No. 47/DPI/South/2021-22

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES

The following State Governments/UTs have offered to sell 3 to 30 years securities by way of auction for an aggregate amount of ₹16,100 crore (Face Value).

Sr. No.	State/UT	Amount to be raised (₹ cr)	Additional borrowing (Green Shoe) option (₹ cr)	Tenure (in years)	Type of auction
1.	Andhra Pradesh	1,000	-	14	Yield based
2.	Assam	500	-	3	Yield based
3.	Gujarat	1,000	500	6	Yield based
4.	Haryana	1000	-	10	Yield based
5.	Himachal Pradesh	500	-	10	Yield based
		500	-	11	Yield based
6.	Jammu and Kashmir	600	-	15	Yield based
7.	Kerala	2,000	-	13	Yield based
		1,500	-	18	Yield based
8.	Madhya Pradesh	2,000	-	5	Yield based
9.	Punjab	250	-	15	Yield based
		1,250	-	Reissue of 6.97% Punjab SDL 2031	Price based
10.	Rajasthan	1,500	-	10	Yield based
11.	Telangana	1,000	-	14	Yield based
12.	West Bengal	1500	-	30	Yield based
	Total	**16,100**			

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on **August 31, 2021 (Tuesday).** For further details please refer to RBI press release dated **August 27, 2021 (Friday)** on RBI website **(www.rbi.org.in).**

"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

DIGICONTENT LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor), 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110 001
Ph.: +91-11-66561234 **Fax:** +91-11-66561445
E-mail: investor@digicontent.co.in **Website:** www.digicontent.co.in

NOTICE OF THE 4th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF DIGICONTENT LIMITED ("Company/DCL")

In furtherance to our notice published in the newspapers viz. Mint (All editions) and Hindustan (Delhi NCR edition) on August 21, 2021 regarding the 4th AGM of DCL to be held on **Tuesday, September 21, 2021 at 11:00 AM (IST)** through Video Conferencing (VC)/Other Audio And Video Means (OAVM), members of DCL are hereby informed that electronic copy of the Notice convening the AGM, procedure & instructions for e-voting (remote e-voting and e-voting at the AGM i.e. InstaPoll) and the Annual Report for FY-21 have been sent on August 29, 2021 to those Members whose email ID are registered with the Company/Depository Participants (DP). Members may download aforesaid documents from the website of the Company viz. **www.digicontent.co.in**, Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. Kfin Technologies Private Limited (Kfin) viz. **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx** and the stock exchanges i.e.**www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

The detailed procedure for attending AGM, voting (remote e-voting and InstaPoll) etc. is set out in the notice of AGM, on the following lines:–

1. The Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on the business set forth in the Notice of AGM through remote e-voting and InstaPoll. Procedure for e-voting and attending the AGM for members are provided in notice of AGM. Kfin has been engaged by the Company for providing VC/OAVM platform and e-voting facility.
2. Members of the Company holding shares in physical or demat form, as the case may be, as on the Cut-off date i.e. September 14, 2021 only, are entitled for e-voting and to attend the AGM.
3. Remote e-voting facility shall commence at 9:00 AM (server time) on Friday, September 17, 2021 till 5:00 PM (server time) Monday, September 20, 2021. Thereafter, the remote e-voting facility will be disabled.
4. Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again thereat. If a member casts votes by both remote e-voting and InstaPoll, then voting done through remote e-voting shall prevail.
5. In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. September 14, 2021, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the Notice of AGM.
6. Members who have not registered their e-mail address, are requested to register the same, in respect of shares held in demat form with their Depository Participant(s), and in respect of shares held in physical form by clicking on **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx**. or by writing to Kfin with details of folio number and self-attested copy of PAN card at Kfin Technologies Private Limited, Unit: Digicontent Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad-500 032 or by sending email to **einward.ris@Kfintech.com**. Members holding shares in demat form can also use the aforesaid link to register their e-mail address for the limited purpose of receiving the Notice of 4th AGM and Annual Report for FY-21.
7. E-voting process pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, have been provided in detail in the Notice of AGM.
8. In case of any query/grievance, in respect of e-voting, members may refer to the Help & FAQs section/E-voting user manual available at the "Downloads" section at **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx** or may contact to Mr. Suresh Babu, Manager, Kfin Technologies Private Limited (Unit: Digicontent Limited) Selenium Tower B, Plot 31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032 or contact at Toll-free No.: 1800-309-4001 or email at **evoting@kfintech.com** or **einward.ris@kfintech.com**. For any technical assistance for participating in AGM via VC/OAVM, members may contact Kfin at the helpline No. 1800-309-4001.

For **Digicontent Limited**

Place: New Delhi
Date: August 29, 2021

(Vikas Prakash)
Company Secretary

mint

India's #1 Business News Site on Mobile

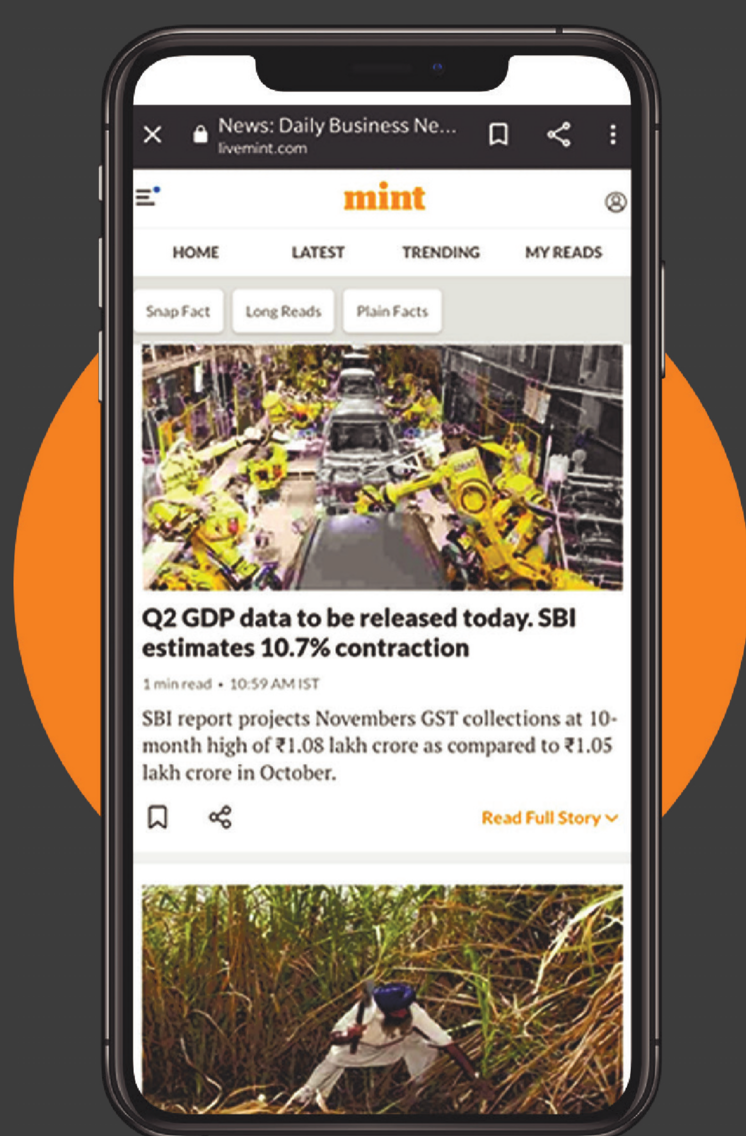

#1 livemint

#2 Economic Times

#3 moneycontrol

Source: Comscore Mobile Metrix, News/Information – Business/ Finance News, Total Unique Visitors, June 2021 | India

आज का दिन 2008 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिड़ला का निधन।

● किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग ● कार्रवाई को अंग्रेजों के शासन काल जैसा बताया

नूंह महापंचायत से आंदोलन तेज करने का ऐलान

किसान आंदोलन

नूंह | मुख्य संवाददाता

हरियाणा के करनाल जिले में शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। पांच सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होने वाली किसानों की महापंचायत में कड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें मिशन उत्तर प्रदेश मुख्य होगा। सभी ने करनाल के एसडीएम को सरकार से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। रविवार को नूंह में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, जोगेंद्र सिंह उग्राहा आदि ने इसका ऐलान किया।

करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला नूंह की किसान महापंचायत में छाया रहा। किसान नेताओं ने किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। उआरोप लगाया कि यह अंग्रेजों के शासन काल जैसा है। राकेश टिकैत ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की।

मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत से सरकार बौखलाई : राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पांच सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत से बौखला गई है। वह किसानों के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का करीब 12000 करोड़ रुपये अब तक सरकार ने नहीं दिया है। किसान नेता योगेंद्र सिंह ने कहा कि शनिवार को करनाल में लाठीचार्ज के बाद एक किसान की मौत हो गई।

हरियाणा के नूंह में रविवार को किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव अन्य किसान नेताओं से बातचीत करते हुए। ● हिन्दुस्तान

किसान सबका हिसाब लेगा : राकेश टिकैत

राकेश टिकैत ने करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। करनाल के विरोध में घायल किसानों पर टिप्पणी करते हुए टिकैत ने सरकार की तुलना तालिबान से की। टिकैत ने आगे कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसान इसका हिसाब लेगा।

तोड़फोड़ की निंदा की

पलवल में किसानों के धरनास्थल पर हुई तोड़फोड़ की निंदा की गई। आरोप लगाए कि किसानों के धरनास्थल पर तोड़फोड़ साजिश का हिस्सा थी, लेकिन किसानों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो।

26 सितंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान

नूंह | मुख्य संवाददाता

खेती कानूनों को सरकार ने अगर वापस नहीं लिया तो 26 सितंबर को किसान आंदोलन के दस महीने होने पर देशव्यापी भारत बंद किया जाएगा। इसके अलावा समूचे भारत मे संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया जाएगा, ताकि संबंधित कानूनों को वापस करवाने के लिए किसान देश के हर गांव में इनका विरोध कर सकें।

रविवार को नूंह की अनाज मंडी में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत में किसान नेताओं ने यह ऐलान किया। हालांकि, किसान नेताओं ने कहा कि इसकी विधिवत घोषणा पांच सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में की जाएगी। सुबह 11 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम करीब साढ़े चार बजे तक चली। इस दौरान किसानों में भारी उत्साह नजर आया। किसान करीब पांच घंटे तक आज मंडी में ही डटे रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवल, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, दर्शन पाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धबीर सिंह सहित कई स्थानीय नेताओं ने महापंचायत को संबोधित किया।

पंचायत को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी बांटी गई

दक्षिण हरियाणा में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा मेवात की एक तैयारी बैठक लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में किसान नेता आजाद खान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पंचायत को सफल बनाने के लिए 21 सदस्य प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया और कामों की जिम्मेदारी जिम्मेदारी बांटी गई। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को लग रहा था कि दक्षिण हरियाणा के किसान का किसान आंदोलन से कोई मतलब नही है, लेकिन नूंह की महापंचायत ने साबित कर दिया कि दक्षिण हरियाणा का किसान भी आंदोलन में पूरी तरह शामिल है।

05 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होने वाली किसानों की महापंचायत में लिए जाएंगे कड़े फैसले

> किसानों ने हिंसा नहीं की बल्कि करनाल के एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। एसडीएम का वायरल हुआ वीडियो इसका सबूत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह कहना कि किसानों ने कानून अपने हाथ में लिया था, यह सरासर गलत है।
>
> **योगेंद्र यादव**, किसान नेता

ट्रैक्टर से पहुंचे किसान

किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए किसान ट्रैक्टरों से आयोजन स्थल अनाज मंडी में पहुंचे। इसमें युवाओं ने भी हिस्सा लिया। ट्रैक्टर पर तिरंगा और किसान संगठनों के झंडे लगाए हुए थे। विशेष बात यह है कि किसान ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए।

करनाल हिंसा के बाद अलर्ट रही पुलिस

शनिवार को करनाल में किसान और पुलिस में हुए टकराव को देखते हुए नूंह में हुई किसानों की महापंचायत को लेकर नूंह पुलिस अलर्ट नजर आई। नूंह चौक से लेकर कुंडली-मानेसर-पलवल इंटरचेंज तक पुलिस जगह-जगह तैनात रही।

एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई

चंडीगढ़ | एजेंसी

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उस टिप्पणी को रविवार को खारिज कर दिया, जिसने पुलिस से करनाल में प्रदर्शन के दौरान किसानों का सिर फोड़ने के लिए कहा था और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है।

चौटाला ने अधिकारी पर कार्रवाई का वादा किया : किसानों पर शनिवार को हुए लाठीचार्ज को लेकर मनोहर लाल सरकार के खिलाफ बढ़ते विपक्ष के हमले और मजिस्ट्रेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के बीच उपमुख्यमंत्री एवं जन जनायक जनता पार्टी (जजपा) नेता चौटाला ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। चौटाला ने कहा, '2018 बैच के आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल हो गया है। एक आईएएस अधिकारी द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग निंदनीय है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के दौरान, अधिकारियों को सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना है और कैसे अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है, लेकिन उन्होंने जो कहा वह स्पष्ट रूप से उन नैतिक मानकों को पूरा नहीं करता है, जिनकी ऐसे अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है।' उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई उचित समझी जाएगी, सरकार वह करेगी।'

किसान नेताओं के मकसद पर चौटाला ने सवाल उठाया

उपमुख्यमंत्री चौटाला ने करनाल में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव करने सहित किसानों की हिंसा की भी निंदा की। चौटाला ने कहा, 'क्या आप उस तरह की कार्रवाई का समर्थन करते हैं जो दूसरी तरफ से देखी गई थी?' करनाल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह घटनाओं से दुखी हैं, लेकिन उन्होंने किसान नेताओं के मकसद पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'मैं मीडिया के जरिए पूछना चाहता हूं कि वो 40 नेता कहां हैं।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दिया था आश्वासन:मनोहर लाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर की गई पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आश्वासन दिया गया था लेकिन पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया और एक राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया।

कुछ किसान नेता और बिचौलिए आंदोलन को भड़का रहे

चौटाला यह भी सवाल किया कि हरियाणा को प्रदर्शन का केंद्र क्यों बनाया गया है। चौटाला ने जोर देकर कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में कोई असुरक्षा या भय नहीं है, लेकिन कुछ किसान नेता और बिचौलिए आंदोलन को भड़काने के लिए उनके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'वे हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं, वे इसकी व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। वे हरियाणा को संकट में डालना चाहते हैं। यह आंदोलन पंजाब, राजस्थान या यूपी में क्यों नहीं हो रहा, हरियाणा के लोगों को क्यों भड़काया जा रहा है?'

भाकपा ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की

विरोध

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

भाकपा के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अनजान ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसानों पर बर्बर पुलिस लाठी चार्ज ने भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों और उनके आंदोलन को कुचलने का एक नया फैसला सुना दिया है'

एक बयान में अनजान ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में सरकारी पदों पर बैठे हुए मंत्रियों को काला झंडा दिखाकर अपने रोष को प्रकट करने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है' सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता भी यही काम पिछले 30 सालों से करते रहे' लेकिन आज जब उनकी नीतियों के विरोध में किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, प्रोफेसर, डॉक्टर और कलाकार अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रहीं, उन पर राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे कायम की जा रहे हैं' अनजान ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की प्रयोगशाला बन गई है' भाजपा सरकारे फासिस्ट परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं'

अनजान ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया है और हिंसा को राजकीय हिंसा में बदलने का फैसला कर लिया है' अनजान ने बताया कि 30 अगस्त को करनाल में देश के विभिन्न किसान संगठनों के नेता जुटेंगे और सरकार की इस अमानवीय हिंसक कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम बनाने पर विचार करेंगे'

निशाना

- किसानों को अपनी के समर्थन में रोष प्रकट करने का पूरा अधिकार
- 30 अगस्त को करनाल में देश के किसान संगठनों के नेता जुटेंगे

घायल किसान की मौत हुई:चढ़ूनी

चंडीगढ़। हरियाणा बीकेयू (चढ़ूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दावा किया कि करनाल में लाठीचार्ज में घायल होने के बाद एक किसान सुशील की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

करनाल की आईजीपी ममता सिंह ने हालांकि चढ़ूनी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मृतक किसान घायलों में नहीं था। उन्होंने कहा कि किसान ने शाम को अपने घर पर खाना खाया और सो गया था लेकिन सुबह वह मृत पाया गया। इस बीच चढ़ूनी ने रविवार को कहा कि पुलिस लाठीचार्ज के जवाब में भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए सोमवार को करनाल में किसान नेताओं की बैठक होगी।

दो घंटे तक राजमार्गों पर रहा किसानों का कब्जा

पंजाब

चंडीगढ़ | एजेंसी

हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कृषकों ने रविवार को पंजाब में दो घंटे तक सड़कों और राजमार्गों को बाधित किया।

विभिन्न किसान संघों से संबंधित प्रदर्शनकारियों ने करनाल में कृषकों पर बल का इस्तेमाल करने के लिए हरियाणा की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का पुतला फूंका। शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने वाले किसानों के एक समूह पर पुलिस ने कथित रूप से लाठीचार्ज किया था, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए थे। ये किसान भाजपा की एक बैठक का विरोध करने के लिए करनाल की ओर जा रहे थे। पंजाब में दोपहर 12 बजे शुरू हुए दो घंटे के आंदोलन से कई जगहों पर जाम लगा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन से जालंधर-पठानकोट राजमार्ग, लुधियाना-चंडीगढ़ राजमार्ग, अमृतसर-गंगानगर राजमार्ग और फिरोजपुर-जीरा मार्ग पर कई जगहों पर वाहनों का आवागमन बाधित हुआ।

जालंधर में रविवार को जालंधर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करते किसान। ● एएनआई

अमरिंदर सिंह ने पुलिस बर्बरता पर दुख जताया था

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हरियाणा पुलिस द्वारा खुलेआम की गई बर्बरता पर दुख व्यक्त किया था और मनोहर लाल की शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर क्रूरतापूर्ण हमला करने के लिए आलोचना की थी।

रास्ता रोको आंदोलन किया

लुधियाना। हरियाणा के करनाल में बसताड़ा टोल पर कल किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में लुधियाना में आज किसानों ने दो घंटे रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहनों के लिए रास्ता छोड़ा गया।

नीतीश में पीएम बनने की सारी योग्यता : जदयू

राष्ट्रीय परिषद

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनने की तमाम योग्यता रखते हैं, हालांकि वह पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। रविवार को जदयू की राष्ट्रीय परिषद ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया।

साढ़े तीन घंटे से अधिक चली इस बैठक में जातीय जनजणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत अन्य मसलों पर 31 जुलाई को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित पार्टी की राय से जुड़े आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी के नेता तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, सांसद बशिष्ठ नारायण सिंह समेत जदयू राष्ट्रीय परिषद के करीब ढाई सौ सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं और वही, एनडीए में पीएम पद के प्रत्याशी भी हैं। लिहाजा, नीतीश कुमार इस पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पीएम पद के लिए जिन योग्यताओं और जिस आला दर्जे के समर्पण तथा दक्षताओं की जरूरत होती है, वे सभी नीतीश कुमार में है। ललन सिंह के इस प्रस्ताव को जदयू राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा और प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य की मौजूदगी में मीडिया को राष्ट्रीय परिषद के इस सर्वसम्मत प्रस्ताव की जानकारी दी।

पटना में रविवार को जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। ● प्रेट्र

जातीय जनगणना अगड़ों के विरुद्ध नहीं

बैठक में कुल नौ प्रस्ताव पारित किये गये। त्यागी ने बताया कि जदयू इन अफवाहों का खंडन करता है कि जातीय जनगणना से अतिपिछड़ों की गोलबंदी होगी और यह अपर कास्ट के खिलाफ है। जातीय जनगणना खबके पक्ष में है, खासतौर से गरीब सवर्णों के भी इससे वास्तविक आंकड़े मिलेंगे।

एनडीए में बने को-आर्डिनेशन कमेटी

जदयू के प्रधान महासचिव ने कहा कि एनडीए में समन्वय समिति बनाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर भी को-आर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। इससे अनर्गल बयानों पर रोक लगेगा और किसी भी मसले को सुझलाया जा सकेगा।

ईडी से विपक्ष को परेशान करना चाहते हैं गृह मंत्री

कोलकाता | एजेंसी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने विपक्ष को परेशान करने के लिए रविवार को केंद्र की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मामलों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से निपटाने की योजना बनाई है।

ओ ब्रायन के बयान के एक दिन पहले ईडी ने कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के डायमंड हार्बर के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ओ ब्रायन ने तंज कसते हुए कहा, 'दिल्ली में एक गौरैया ने मुझे बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के नए प्रमुख ने कुछ शीर्ष अधिकारियों को शायद निर्देश दिया है कि वे बहुत ज्यादा बेशर्मी से काम न करें। विपक्ष को प्रताड़ति करने से एक ही पार्टी को फायदा होता है। तो हीमैन (गृह मंत्री) की एक नई योजना है।' टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'वह अब सभी मामलों को बेहद समर्पित (ईडी) निदेशक के माध्यम से भेज रहे हैं जो एचएम (गृह मंत्री) के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।'

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्नलिखित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश ने कुल ₹16,100 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए नीलामी के माध्यम से 3 से 30 वर्षीय प्रतिभूतियों की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है।

क्रम सं.	राज्य/कें. प्र.	अधिसूचित राशि (₹ करोड़)	अतिरिक्त अंशदान विकल्प (₹ करोड़)	अवधि (वर्षों में)	नीलामी का प्रकार
1.	आंध्र प्रदेश	1,000	-	14	प्रतिफल आधारित
2.	असम	500	-	3	प्रतिफल आधारित
3.	गुजरात	1,000	500	6	प्रतिफल आधारित
4.	हरियाणा	1,000	-	10	प्रतिफल आधारित
5.	हिमाचल प्रदेश	500	-	10	प्रतिफल आधारित
		500	-	11	प्रतिफल आधारित
6.	जम्मू और कश्मीर	600	-	15	प्रतिफल आधारित
7.	केरल	2,000	-	13	प्रतिफल आधारित
		1,500	-	18	प्रतिफल आधारित
8.	मध्य प्रदेश	2,000	-	5	प्रतिफल आधारित
9.	पंजाब	250	-	15	प्रतिफल आधारित
		1,250	-	6.97% पंजाब एसडीएल 2031 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
10	राजस्थान	1,500	-	10	प्रतिफल आधारित
11	तेलंगाना	1,000	-	14	प्रतिफल आधारित
12	पश्चिम बंगाल	1,500	-	30	प्रतिफल आधारित
	कुल	**16,100**			

यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) पर एकाधिक मूल्य पद्धति में **31 अगस्त 2021 (मंगलवार)** को आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट **(www.rbi.org.in)** पर **27 अगस्त 2021 (शुक्रवार)** की प्रेस प्रकाशनी देखें।

"पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/एसएमएस/टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं"

गलत मंशा बगैर बच्ची का गाल छूना अपराध नहीं:कोर्ट

फैसला

मुंबई | एजेंसी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ साल की लड़की के यौन शोषण के आरोपी 46 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न की मंशा के बगैर किसी बच्चे के गाल छूना अपराध नहीं है। जस्टिस संदीप शिंदे की एकल पीठ ने पड़ोसी ठाणे जिले में रबोडी पुलिस द्वारा जुलाई 2020 में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद अहमद उल्ला को 27 अगस्त को जमानत दे दी।

हाईकोर्ट ने कहा, मेरी राय में यौन उत्पीड़न की मंशा के बिना किसी के गाल छूना बाल यौन अपराध संरक्षण कानून की धारा सात के तहत परिभाषित यौन शोषण के अपराध के दायरे में नहीं आता है। रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों के प्राथमिक मूल्यांकन से यह नहीं लगता कि याचिकाकर्ता ने यौन शोषण की मंशा से पीड़ित के गाल छूए। बहरहाल जस्टिस शिंदे ने आदेश में स्पष्ट किया कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी को इस मामले में जमानत के लिए दी गई राय ही समझा जाए और इसका अन्य मामलों में सुनवाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़े।मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया।

सुनवाई

- बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी को दी जमानत
- आरोपी को ठाणे पुलिस ने जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया था

कॉल रिकॉर्ड से दुष्कर्म के आरोपियों को पकड़ा

मैसुरु गैंगरेप

मैसुरु | एजेंसी

मैसुरु में 24 अगस्त को कॉलेज की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म में कथित तौर पर शामिल लोगों को पकड़ने में पुलिस को अपराध स्थल के पास पड़ी बस की टिकटें और शराब की बोतलों तथा मोबाइल टावरों की कॉल डिटेल से मदद मिली।

पुलिस ने शनिवार को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से एक नाबालिग समेत पांच लोगों को गिरफ्तार करने की घोषणा की जबकि छठे संदिग्ध की तलाश की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पुरुष मित्र से मिली इस सूचना के आधार पर जांच शुरू की थी कि आरोपी तमिल में बात कर रहे थे। अपराध स्थल की तलाश के दौरान पुलिस को तमिलनाडु में तलवाड़ी से कर्नाटक के चामराजनगर तक की बस की टिकटें मिलीं और साथ ही शराब की कुछ बोतलें भी मिली जिन पर तमिलनाडु के सीमा शुल्क विभाग की मुहर थी।

सड़क पर घसीटने वाले आरोपी का मकान ढहाया

नीमच। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को वाहन से बांधकर सड़क पर घसीटने और उसके साथ बर्बर तरीके से मारपीट के कारण मौत के मामले के मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर का अवैध रूप से बना मकान आज प्रशासन ने ढहा दिया।

DIGICONTENT LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC322147
पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस (द्वितीय तल)
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
फोनः +91-11-66561234, **फैक्सः** +91-11-66561445
ई-मेलः investor@digicontent.co.in, **वेबसाइटः** www.digicontent.co.in

डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड ("कम्पनी/डी.सी.एल.") की चतुर्थ वार्षिक आम बैठक ("ए.जी.एम.") का नोटिस

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो एवं विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए **मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021** को **पूर्वा. 11.00 बजे (भा.मा.स.)** होने वाली डी.सी.एल. की चतुर्थ ए.जी.एम. के संबंध में 21 अगस्त, 2021 को समाचारपत्रों यानी मिन्ट (सभी संस्करणों) तथा हिन्दुस्तान (दिल्ली एनसीआर संस्करण) में प्रकाशित हमारे नोटिस के अनुक्रम में, डी.सी.एल. के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ए.जी.एम. के आयोजन के नोटिस, ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा ए.जी.एम. में ई-वोटिंग यानी इंस्टापोल) की प्रक्रिया तथा अनुदेशों और वित्तीय वर्ष-21 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, 29 अगस्त, 2021 को उन सदस्यों को भेजी गयी है, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट यानी **www.digicontent.co.in**, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (केफिन) की वेबसाइट यानी **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** से उपर्युक्त आलेख्यों को डाउनलोड कर सकते हैं।

ए.जी.एम. में उपस्थित होने, वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा इंस्टापोल) आदि की विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में निर्दिष्ट हैं, जोकि इस प्रकार हैं:-

1. कम्पनी अपने सदस्यों को ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टापोल की सुविधा प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग तथा ए.जी.एम. में भाग लेने की प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में दी गई है। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम प्लेटफार्म तथा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन को नियुक्त किया है।
2. कम्पनी के केवल वे सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग करने के हकदार है, जो **कट ऑफ तिथि यानी 14 सितम्बर, 2021** को भौतिक अथवा डिमैट रूप में शेयर धारित हैं।
3. रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा **शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9.00 बजे (सर्वर समय) से शुरू होकर सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे (सर्वर समय)** तक होगी। उसके बाद, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निर्योग्य हो जाएगी।
4. वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वे ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां पुनः अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग और इंस्टापोल दोनों के माध्यम से अपने वोट देता है, तो रिमोट ई-वोटिंग से दिया गया वोट ही मान्य होगा।
5. यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद लेकिन कटऑफ तिथि यानि **14 सितम्बर, 2021** को या उससे पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है अथवा नोटिस के प्रेषण के बाद ईमेल आईडी को पंजीकृत कराता है, तो ऐसे सदस्य ए.जी.एम. की नोटिस में वर्णित किए गए तरीके द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
6. जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि डिमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत करवाएं तथा भौतिक रूप से रखे गए शेयरों के सम्बन्ध में पंजीकरण हेतु **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** पर क्लिक करें या केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 में फोलियो नम्बर के विवरण तथा पैन कार्ड की स्व-साक्ष्यांकित प्रति के साथ केफिन को लिखें अथवा **einward.ris@kfintech.com** पर ई-मेल करें। वे सदस्य जिनके पास डिमैट रूप में शेयर हैं, चतुर्थ ए.जी.एम. के नोटिस और वित्तीय वर्ष-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के **सीमित प्रयोजन** हेतु अपने ई-मेल पते को पंजीकरण करवाने हेतु उपरोक्त लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
7. सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के अनुसरण में, ई-वोटिंग प्रक्रिया नोटिस में विस्तृत रूप से प्रदान की गई है।
8. यदि ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न/शिकायत है, तो सदस्यगण कृपया **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx** के Help & FAQ's सेक्शन/"डाउनलोड्स" सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या श्री सुरेश बाबू, प्रबंधक, केफिन टेक्नोलाजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (यूनिटः डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 या टोल फ्री नं.: 1800-309-4001 अथवा ई-मेलः **evoting@kfintech.com** या **einward.ris@kfintech.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता हेतु, सदस्यगण हेल्पलाइन नं. 1800-345-4001 पर केफिन से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 अगस्त, 2021

(विकास प्रकाश)
कम्पनी सचिव